मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 85/2020 वादपत्र धारा 88 आर.टी.एक्ट.

रघुनाथ सिंह पिता स्व. चतरसिंह दरोगा नि. बांसी तहसील बडीसादडी

– वादी

बनाम

1– कालू सिंह पिता स्व. चतरसिंह दरोगा नि. बांसी हा.मु. नीमचखेडा देवाली तह. गिरवा
2– आनीबाई पुत्री स्व. चतरसिंह दरोगा नि. बांसी पत्नी भगवतसिह राठौड. तह. बडीसादड़ी
3– जाना बाई पुत्री स्व. चतरसिंह दरोगा नि. बांसी पत्नी शंकरसिंह राठौड. तह. बडीसादड़ी
4– सागर बाई पुत्री स्व. चतरसिंह दरोगा नि. बांसी पत्नी श्रीलालसिंह सांखला तह. बडीसादड़ी
5– वसीया पुत्री स्व. चतरसिंह दरोगा नि. बांसी पत्नी स्व. रणजीतसिह राठौड़ हा.मु. नि. गिरवा
6– भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी

–प्रतिवादीगण

वादी की ओर से वकील श्री एस.एम. माजिद तथा प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री लोकेश कांठेड़ की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा बांसी पटवार हल्का बांसी की आराजी नम्बर 1003 रकबा 0.30 हैक्ट. भूमि वादी तथा प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से लगायत 5 की खातेदारी में प्रत्येक के 1/6 हक हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे......X.. प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित...X.. को दी जावे।

यह आज दिनांक 20.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

मोहर

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2025/17

दिनांक 25/01/2025

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.03.19 11:15:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी :– प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 85/2020 ई.रे.

रघुनाथ सिंह पिता स्व. चतरसिंह दरोगा नि. बांसी तहसील बडीसादडी

– वादी

बनाम

1– कालू सिंह पिता स्व. चतरसिंह दरोगा नि. बांसी हा.मु. नीमचखेडा देवाली तह. गिरवा
2– आनीबाई पुत्री स्व. चतरसिंह दरोगा नि. बांसी पत्नी भगवतसिह राठैड. तह. बडीसादड़ी
3– जाना बाई पुत्री स्व. चतरसिंह दरोगा नि. बांसी पत्नी शंकरसिंह राठैड. तह. बडीसादड़ी
4– सागर बाई पुत्री स्व. चतरसिंह दरोगा नि. बांसी पत्नी श्रीलालसिंह सांखला तह. बडीसादड़ी
5– वसीया पुत्री स्व. चतरसिंह दरोगा नि. बांसी पत्नी स्व. रणजीतसिह राठैड़ हा.मु. नि. गिरवा
6– भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी

–प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गतधारा 88 आर.टी.एक्ट</u>

// निर्णय // **दिनांक :– 20.01.2025**

वादी की ओर सें प्रस्तुत वाद के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि आराजी नं. 1003 रकबा 0.30 हैक्ट. मौजा बांसी पटवार हल्का बांसी में स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात परिवार के मूल पुरूष गिरवरसिंह के खातेदारी में दर्ज रिकोर्ड थी। गिरवरसिंह की मृत्यु के बाद उसके वारीस धन्ना एवं चतरसिंह हुए। धन्ना लाऔलाद फौत हो चुका है। धन्ना के पत्नी एवं बच्चे कुछ भी नही थे तथा वह अपने भाई चतरसिंह के साथ ही रहता था तथा चतरसिंह का भी देहान्त हो चुका है। चतरसिंह के वारीस वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 5 है। धन्ना के लाऔलाद फौत हो जाने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार धन्ना का एकमात्र वारीस उसका भाई चतरसिंह हुआ।

धन्ना के फौत हो जाने के बाद वादग्रस्त आराजीयात का नामान्तरण दिनांक 27.07.1971 को चतरसिंह के नाम पर दर्ज कर वादग्रस्त आराजीयात तभी से चतरसिंह के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। लेकिन गलती से राजस्व रिकार्ड में चतरसिंह पिता गिरवर की बजाय चतरसिंह पिता धन्ना दर्ज कर दिया है जिसे संशोधित किया जाकर चतरसिंह पिता गिरवरसिंह के नाम पर दर्ज किया जाकर चतरसिंह का देहान्त हो जाने से उसके वारीसान वादी एवं प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से लगायत 5 के खातेदारी में उनके हक हिस्से अनुसार दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

वादग्रस्त आराजीयात में धन्ना और चतरसिंह के फौत हो जाने के बाद वादी एवं प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से लगायत 5 तक का प्रत्येक का 1/6 हक हिस्सा होकर वादी एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात पर अपने अपने हक हिस्से पर काबीज है। वादी वादग्रस्त आराजीयात को वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच प्रत्येक के 1/6 हक हिस्से अनुसार अपने खातेदारी में दर्ज कराये जाने की घोषणा कराये जाने का अधिकारी है।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया [illegible] सम्मन से तलब किया गया । प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से लगायत 5 की ओर [illegible] लोकेश कांठेड़ ने पावर के साथ इकबालिया जवाब पेश किया । प्रति[illegible] अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। इकबालिया जवाब होने [illegible] पत्रावली में तनकीयात कायम नहीं की गई। पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत [illegible] में वादी रघुनाथसिंह, भगवतीलाल, रणजीतसिंह के शपथ पत्र पेश हुये। तथा प्रदर्श कराये ग[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.03.19 11:15:07 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली में संलग्न दस्तावेज पर मनन किया गया । वादी का वाद स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि मौजा बांसी पटवार हल्का बांसी की आराजी नम्बर 1003 रकबा 0.30 हैक्ट. भूमि वादी तथा प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से लगायत 5 की खातेदारी में प्रत्येक के 1/6 हक हिस्से

सहायक कलेक्टर
बडीसादडी

का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अंकिन किया जावें। पर्चा डिक्री मुर्तिब हों।

निर्णय आज दिनांक 20/01/2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.03.19 11:15:07 IST
Reason: SelfAttested